

8-5-20

उपरोक्त उपस्थित पीताम्बीन अधिकारी राजकीय कार्य में कार्यरत हैं। अतः कार्य पर ही / परस्थित है।
अतः पत्रावली दिनांक 29-5-20 को पेश हो।

८
सिद्ध

उपखण्ड अधिकारी माण्डल

29-5-20

उपरोक्त उपस्थित पीताम्बीन अधिकारी राजकीय कार्य में कार्यरत हैं। अतः कार्य पर ही / परस्थित है।
अतः पत्रावली दिनांक 14-8-20 को पेश हो।

9

उपखण्ड अधिकारी माण्डल

14-8-20

पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थिया उपस्थित अप्रार्थीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शाब पठ क्रिये शये, तदुसीलदार माण्डल से माँका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शाब पठ की गई, एवं मे सीमा ज्ञान नहीं करायी गया। अप्रार्थीगण को कितनी मर्तवा क्षमावाञ्छे दिलायी जाने उपरान्त भी उपस्थित नहीं इनके विक्रम एक तरफा कार्यवाही छिपे जाने के शकदेश दिये जाते हैं वकील प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृष्ठ से लिखा जाकर शामिल पत्रावली दिया गया।
पत्रावली फंसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला पीलवाड़ा

राजस्थान - सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी-महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 215/19 प्रविषण

1- श्रीमती प्रेम देवी पं.श्री केलदा-चन्द्र रेगर निवासी: गाण्डल तहसील-माण्डल

-प्रार्थी

वनाम

1- श्री मोहनदाश्री प्रताप भुर्जर निवासी लखना खेडा, माताजी कारगेडा (कोचरिया)
तहसील-माण्डल [वर्ग 1] (संबंधित पत्र संलग्न है)

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 14.08.20

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम.....**कोचरिया**.....पटवार हल्का.....**सेणा**.....तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी नं.**120**.....कुल कित्ता.....**01**.....रकबा.....**01**.....घा.....**04**.....बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह ही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते भूमि की पत्थरगडी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक **31.12.19**.....को पंजीबद्ध किया जाकर करण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगडी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की त्रुटि होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को धरते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम.....**कोचरिया**.....पटवार हल्का.....**सेणा**.....तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं.**120**.....कुल कित्ता.....**01**.....रकबा.....**01**.....घा.....**04**.....बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगडी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगडी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक.....**सेणा**.....**400/-** रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील विन्दु को आधार मानकर पत्थरगडी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगडी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाडा

तिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगडी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाडा